छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय शंकर नगर रायपुर

www.cghb.gov.in

!! संपदा प्रबंधन !!

आदेश

क्रमांक........8........./2016 दिनांक 15 / 02 /2016

विषयः- नया रायपुर मुख्यमंत्री आवास योजनांतर्गत विक्रय हेतु ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. भवनों का पंजीयन राशि जमा करने बाबत्।

—000—

माननीय प्रधानमंत्री जी के **"सबके लिए आवास मिशन"** अंतर्गत नया रायपुर में मुख्यमंत्री आवास योजना का पंजीयन शुभारंभ दिनांक 23 जनवरी 2016 से प्रारंभ किया गया है। इस योजनांतर्गत नया रायपुर में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा एल.आई.जी. तथा ई.डब्ल्यू.एस. भवनों का वृहद स्तर पर निर्माण किया जा रहा है। योजना में प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत प्रति ई.डब्ल्यू.एस. भवन पर केन्द्र शासन द्वारा की रु.1.50 लाख अनुदान तथा मुख्यमंत्री आवास योजनांतर्गत रु.1.00 लाख अनुदान दिया जा रहा है। इसी प्रकार एल.आई.जी. भवन पर राज्य शासन द्वारा रु.50.00 हजार अनुदान दिया जा रहा है तथा पात्र आवेदकों को प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत रु.6.00 लाख तक के आवास ऋण पर 6.50 प्रतिशत ब्याज दर में सब्सिडी प्रदान की जा रही है।

उक्त भवनों के पंजीयन दिनांक 29.02.2016 तक जारी है। मण्डल के उपायुक्त, कार्यपालन अभियंता तथा संपदा अधिकारियों के द्वारा अनुरोध किया गया है कि आवेदकों के द्वारा पंजीयन राशि कम करने की मांग की जा रही है। अतः हितग्राहियों द्वारा ई.डब्ल्यू.एस./ एल.आई.जी. भवनों हेतु निर्धारित भवन के मूल्य का 15 प्रतिशत जमा करने में कठिनाईयों को देखते हुए ई.डब्ल्यू.एस. भवन की पंजीयन राशि 15 प्रतिशत के स्थान पर रु.15000/- तथा एल.आई.जी. भवन की पंजीयन राशि 15 प्रतिशत के स्थान पर रु.30000/- जमा करने कि अनुमति प्रदान की जाती है।

इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए विभिन्न स्थानों पर शिविर आयोजित कर अधिक से अधिक लोगो को योजना का लाभ पहुचाने हेतु समस्त कार्यपालन अभियंता/ संपदा अधिकारी द्वारा कार्यवाही किया जावें।

15/2/16.

आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
रायपुर

क्रमशः-02

पृ.क्र. २५१ /आ.आ./स.प्र.शा./मुख्या/फा.नं.-186/16 रायपुर, दिनांक 15 / 02 /2016

प्रतिलिपिः-

1. स्टॉफ ऑफिसर, मान. अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
2. निज सचिव, आयुक्त महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर तथा सदस्य, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर।
3. अपर आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
4. उपायुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, रायपुर।
5. उपायुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, वृत्त-रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर।
6. मुख्य लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
7. मुख्य संपदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
8. प्रशासकीय अधिकारी छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
9. संपदा अधिकारी/लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
10. संपदा अधिकारी, संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-01/02/03, रायपुर/ दुर्ग/ परि.सं.दुर्ग/ जगदलपुर/ बिलासपुर/रायगढ़/कोण्डागांव/राजनांदगांव/अंबिकापुर/कोरबा की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
11. कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल संभाग-1,2,3,4 रायपुर/राज.परि संभाग-01,02,रायपुर/संभाग-दुर्ग/परियोजना.संभाग-दुर्ग/राजनांदगांव/कोरबा/रायगढ़/ बिलासपुर/जगदलपुर/अंबिकापुर/कोण्डागांव/विद्युत संभाग-01,02,03 रायपुर।
12. आई.टी.शाखा, छत्तीगसढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
13. आदेश नस्ती/गार्ड फाईल।

आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
रायपुर